रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062025-264085
CG-DL-E-24062025-264085

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 453] नई दिल्ली, सोमवार, जून 23, 2025/आषाढ़ 2, 1947
No. 453] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 23, 2025/ASHADHA 2, 1947

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून 2025

फा.सं.मानक/एसपी- 21/टी(अल्कोहल-6) – खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित, खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) संशोधन विनियम, 2023 का प्रारूप, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खण्ड 4 में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या फा. सं. मानक/एसपी-21/टी(अल्कोहल-6), तारीख 11 मई, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से, उस तारीख जिस को उक्त अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई गई थीं से साठ दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 19 मई, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) विनियम, 2018 में और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) पहला संशोधन विनियम, 2025 है।

2. ये विनियम 1 जनवरी 2026 को प्रवृत होंगे।

3. खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) विनियम, 2018 में, -

(1) भाग-1 में,

(क) 'परिभाषाएँ' से संबंधित विनियम 1.2 में, उप-विनियम 1.2.4 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

1.2.4क. "अल्कोहालिक पीने के लिए तैयार पेय " का अर्थ है सुवासयुक्त पेय पदार्थ जिनमें 0.5 से 15.0% तक अल्कोहल की मात्रा होती है, जो स्पिरिट या स्पिरिट के मिश्रण या किसी भी अल्कोहालिक पेय को आधार के रूप में प्राकृतिक या समान प्रकृति वाले या कृत्रिम सुवास और खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और सहयोज्य) विनियम, 2011 के अधीन अनुमत खाद्य सहयोजकों, या उनके संयोजन, और फल या सब्जी के रस या जड़ी-बूटियों या मसालों, या उनके संयोजन को मिलाकर, चीनी या कैलोरीयुक्त मीठाकारक या नमक से या उसके बिना, और कार्बोनेशन करके या उसके बिना बनाए जाते हैं। कार्बोनेटेड अल्कोहालिक पीने के लिए तैयार पेय पदार्थों के मामले में उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोनेट किया जाए, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की न्यूनतम एक मात्रा होगी और वह सारणी -4 की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी।

(ख) विनियम 1.3 में, उप-विनियम 1.3.9 में, परंतुक के पश्चात, " 8.0 प्रति शत से अनधिक एल्कोहलिक वाले एल्कोहलीय पेय" से शुरू होने वाले और "सारणी-4 की अपेक्षाओं के अनुरूप हों" के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखें जायेंगे, अर्थात्¬ -

0.5 प्रतिशत एबीवी से 15.0 प्रतिशत एबीवी तक युक्त अल्कोहालिक पेय को अल्कोहलिक पीने के लिए तैयार पेय कहा जाएगा और यह विनियम 1.2 के अधीन उपबंधित परिभाषा और सारणी -4 की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा।

(2) भाग 2 में, विनियम 2.2 के स्थान पर निम्नलिखित विनियमन प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"2.2 देशी शराब या भारतीय शराब: देशी शराब या भारतीय शराब या स्पिरिट कृषि स्त्रोतों के किन्वीय कार्बोहाइड्रेट के आसवन से प्राप्त अल्कोहालिक पेय पदार्थ हैं। देशी शराब या भारत में निर्मित शराब निम्नलिखित प्रकार की भी हो सकती हैं, अर्थात्: -

2.2.1 साधारण देशी शराब या साधारण भारतीय शराब: साधारण देशी शराब या साधारण भारतीय शराब किण्वित गुड़, गुड़, अनाज का मैश, आलू, कसावा, फल, नारियल और ताड़ के पेड़ों का रस या अर्क, महुआ के फूल या कृषि स्त्रोतों के किसी अन्य कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त अल्कोहालिक आसव (डिस्टिलेट) से बनाई जाए।

2.2.2 समिश्रित देशी शराब या समिश्रित भारतीय शराब: समिश्रित देशी शराब या समिश्रित भारतीय शराब एक अल्कोहालिक आसव, परिशोधित स्पिरिट या न्यूट्रल स्पिरिट का समिश्रण है।

नोट: देशी शराब या भारतीय शराब भाग 1 में निर्दिष्ट सामान्य अपेक्षाओं और सारणी - 1 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप हो। उत्पाद का नाम और ऐसे उत्पादों के लिए संघटक या कच्ची सामग्रियाँ इन विनियमों के अनुलग्नक-1 में निर्दिष्ट हैं और वे संपूर्ण नहीं हैं।"

(3) भाग-3 में, विनियम 3.1 में, -

(क) उप-विनियम 3.1.4 में, -

(i) " अंगूरों से भिन्न अन्य फलों की वाईन " शीर्षक के लिए, निम्नलिखित शीर्षक रखा जायेगा, अर्थात्: -

"फ्रूट वाइन (अंगूर से बनी वाइन के सिवाय) शहद से बनी वाइन सहित";

(ii) खंड 3.1.4.3 के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्: -

"3.1.4.4 शहद की वाइन या मीड: शहद की वाइन या मीड शहद के जलीय घोल के खमीर द्वारा किण्वन से उत्पादित एक वाइन है, जिसमें किसी अन्य कार्बोहाइड्रेट स्रोत को नहीं मिलाया जाता है। इसमें जड़ी-बूटियाँ, मसाले या प्राकृतिक सुवास हो सकते हैं और सिवाय एथिल अल्कोहल के ये सारणी -2 के अधीन उपबंधित अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जो 4% से 15.5% के बीच होगी"

(ख) उप-विनियम 3.1.5 में, "रस" शब्द के पश्चात, "या साबुत अनाज" शब्द अंतःस्थापित किए जायेंगे;

(ग) उप-विनियम 3.1.6 में, " उपयोग की जाने वाली खुराक को छोड़कर" शब्दों के पश्चात, "वाइन आधारित पेय कार्बोनेटेड हो भी सकते हैं और नहीं भी" शब्द अंतःस्थापित किए जायेंगे।"

(4) भाग 4 में, विनियम 4.2 में, उप-विनियम 4.2 (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियमन डाला जाएगा, अर्थात्:-

"4.2 (1) (i) नाइट्रो क्राफ्ट बीयर- नाइट्रो क्राफ्ट बीयर क्राफ्ट बीयर है जिसमें CO2 और N2 गैस का मिश्रण होता है।"

(5) (1) सारणी -1 में, -

(क) स्तंभ 5 में शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जायेगा, अर्थात्: -

"देशी शराब, भारतीय शराब, साधारण देशी शराब या साधारण भारतीय शराब";

(ख) स्तंभ 6 में शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जायेगा, अर्थात्: -

"सम्मिश्रित देशी शराब या सम्मिश्रित भारतीय शराब";

(ग) पादलेख में "कम अल्कोहाल वाले पेयों" शब्दों के स्थान पर, "पीने के लिए तैयार अल्कोहालिक पेय" शब्द रखे जायेंगे;

(6) सारणी -2 में, -

(क) स्तंभ 7 में, शीर्षक में, "फ्रूट वाइन (अंगूर वाइन के अलावा फलों की वाइन)" शब्दों के पश्चात, "शहद से बनी वाइन सहित" शब्द अंतःस्थापित किए जायेंगे;

(ख) पादलेख में, "के लिए" शब्दों के स्थान पर, "विशेषता को छोड़कर" शब्द रखे जायेंगे।

(7) सारणी -3 में, -

(क) स्तंभ 2 में,

(i) क्रमांक संख्या 3 के सामने, "कार्बन डाइऑक्साइड, v/v, न्यूनतम" शब्दों के स्थान पर, "CO2 या CO2 और N2 गैस का मिश्रण, v/v, न्यूनतम***" शब्द रखे जायेंगे;

(ii) क्रमांक संख्या 10 के सामने, "टोटल प्लेट काउंट, cfu प्रति मि. लि" शब्दों के स्थान पर, " टोटल प्लेट काउंट, सी. एफ. यू प्रति मि. लि ****" शब्द रखे जायेंगे।

(ख) स्तंभ (7) के पश्चात, निम्नलिखित स्तंभ अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:

क्राफ्ट बीयर
स्ट्रांग
(8)
5.0 से लेकर 8.0 तक
3.3-4.8
1.8-3.6
50.0
2.0
5.0
0.2
0.25
0.1
<100
अनुपस्थित
अनुपस्थित
*

(ग) विद्यमान पादलेखों के पश्चात, निम्नलिखित पादलेख अंतःस्थापित किए जायेंगे, अर्थात्: -

"*** CO2 और N2 गैस का मिश्रण क्राफ्ट बीयर के लिए लागू है।

**** इसमें ब्रुअर का खमीर सम्मिलित नहीं है।"

(8) सारणी 4 में, -

(क) मौजूदा शीर्षक के स्थान पर, "अल्कोहालिक पीने के लिए तैयार पेय पदार्थों के लिए आवश्यकताएँ" शीर्षक प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ख) क्रमांक संख्या 1 के सामने, स्तंभ (3) में, प्रविष्टि '>0.5 से 8.0' के स्थान पर, प्रविष्टि '>0.5 से <15.0' प्रतिस्थापित की जाए।

(9) सारणी 4 के पश्चात, निम्नलिखित उपाबंध अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्: -

" उपाबंध -1

सारणी I: भारतीय शराब की सूची (आसुत शराब)

क्रम संख्या	अल्कोहालिक उत्पाद	कच्ची सामग्री और स्टार्टर	अनुपालन के लिए उत्पाद श्रेणी
1	*अछम*	चावल, *चमरी*	सारणी 1 (5)
2	*अर्क* अथवा *आरा*	जौ, सेब, जंगली खुबानी	सारणी 1 (5)
3	*अराक* अथवा *होर-अलंक*	चावल, *थाप*	सारणी 1 (5)
4	*आरा*	अनाज, पा, पी	सारणी 1 (5)
5	*बासी*	चावल	सारणी 1 (5)
6	*बट्टा सराय*	*विशुद्ध आसुत शराब; अल्कोहालिक पेय*	सारणी 1 (5)
7	*दारू*	अनाज	सारणी 1 (5)
8	*हांड़िया*	चावल, रानू	सारणी 1 (5)
9	*हरिया*	चावल और भाकर अथवा दबाई अथवा मोद पिठा	सारणी 1 (5)
10	*जुहारो*	चावल, हुमाओ	सारणी 1 (5)
11	*कियाद*	चावल, *थियाट*	सारणी 1 (5)
12	*मड्डा फेनी*	काजू फल	सारणी 1 (5)
13	*मधु*	चावल, खेखरी	सारणी 1 (5)
14	*मड़ुआ अपोंग*	फिंगर बाजरा, फाब	सारणी 1 (5)
15	*महुआ*	मधुका लोंगिफोलिया और रानू के सूखे कोरोला	सारणी 1 (5)
16	*नवा सागर/कंदसराय*	गुड़, शीरा	सारणी 1 (5)
17	*नचियांगने*	लाल चावल	सारणी 1 (5)
18	*रक्सी*	अनाज और मार्चा	सारणी 1 (5)
19	*रक्जू*	चावल और *दावदिम*	सारणी 1 (5)
20	*रुही*	चावल	सारणी 1 (5)
21	*सूर*	फल और *कीम*	सारणी 1 (5)
22	*टिन-ज़ू*	चावल और दावदिम	सारणी 1 (5)
23	*ताड़ी शराब*	आसुत ताड़ के अर्क से निर्मित	सारणी 1 (5)
24	*साज पानी/कोलोह पानी*	चावल, *साज पिठा*	सारणी 1 (5)
25	*यू*	चावल, *हमई*	सारणी 1 (5)

26	*ज़ू*	चावल	सारणी 1 (5)
27	*ज़ुपुई*	चावल और दावदिम	सारणी 1 (5)

सारणी II: भारतीय शराब की सूची (अनासुत शराब)

क्रम संख्या	मादक उत्पाद	कच्चा माल और स्टार्टर	अनुपालन करने के लिए उत्पाद श्रेणी
1	*अंगूरी* या *किन्नौरी*	अंगूर	सारणी 2 [सफेद वाइन (3) और रेड वाइन (4)]
2	*चुल्ली*	खुबानी	सारणी 2 (7)
3	*घंटी*	सेब और खुबानी	सारणी 2 (7)

सारणी III: भारतीय शराब की सूची (अल्कोहालिक पीने के लिए तैयार पेय)

क्रम संख्या	अल्कोहालिक उत्पाद	कच्ची सामग्रियाँ और स्टार्टर	अनुपालन के लिए उत्पाद श्रेणी
1	*अपोंग* अथवा *एन्नोग*	चावल, *अपोप पिठा*	सारणी 4
2	*एटिंगबा*	चावल, *हमई*	सारणी 4
3	*अहोम*	चावल और *वेकुर पिठा*	सारणी 4
4	*भाटी जानर*	चावल, मार्चा	सारणी 4
5	*भांग-च्यांग*	मकई/चावल/जौ और फाम	सारणी 4
6	*बुज़ा*	जौ	सारणी 4
7	*छांग/च्यांग/ची/कोदो को जानर*	रागी/जौ और *फाब*	सारणी 4
8	*छिंद*	छिंद (*फीनिक्स सिल्वेस्ट्रिस*) से निष्कासित अर्क	सारणी 4
9	*चक्ति*	गुड़	सारणी 4
10	*देकुइजाओ*	चावल	सारणी 4
11	*दुइज़ोउ*	लाल चावल, खेखरी	सारणी 4
12	*एन्नोग*	काला चावल, फुट	सारणी 4
13	*फापर को जानर*	कुट्टू, मार्चा	सारणी 4
14	*गहूँ को जानर*	गेहूं, मार्चा	सारणी 4
15	*जन या जान*	चावल, गेहूं और अन्य अनाज और बालम	सारणी 4
16	*जाओ को जानर*	जौ, मार्चा	सारणी 4
17	*झारा*	चावल, दबाई रानू	सारणी 4
18	*जोउ*	*चावल, खेखरी*	सारणी 4
19	*जोउ बिशी*	चावल, अंगकुर	सारणी 4
20	*जुडिमा*	चावल, *हुमाओ*	सारणी 4
21	*जुहर्निंग*	चावल	सारणी 4
22	*कोदो को जानर*	*फिंगर* बाजरा और *मार्चा*	सारणी 4
23	*खोर*	अंकुरित चावल	सारणी 4
24	*कांजी*	चुकंदर गाजर की जड़ और तोरामी	सारणी 4

25	*लांगी*	चावल, चोवन	सारणी 4
26	*लाओपानी*	चावल, *पिठा*	सारणी 4
27	*लुगरी*	जौ	सारणी 4
28	*मिंगारी/लोहपानी*	मक्का, चावल अथवा जौ और फाम	सारणी 4
29	*मकई को जानर*	मक्का, *मार्चा*	सारणी 4
30	*नदुइजाओ*	चावल	सारणी 4
31	*न्योंगिन*	चावल, *ओपोप*	सारणी 4
32	*ओआ*	चावल-फिलेट मिश्रण, *पा*	सारणी 4
33	*ओपो*	चावल-मिल्लेट	सारणी 4
34	*पचवाई*	चावल, *भाकर*	सारणी 4
35	*पटसो*	चावल, *चमरी*	सारणी 4
36	*पेंडुम*	चावल, जड़ी-बूटियाँ, रानू अथवा भाकर	सारणी 4
37	*फेइजोउ*	चावल, भूसी, *खाई*	सारणी 4
38	*पोना/पोने*	चावल	सारणी 4
39	*राक*	सेब, जंगली बादाम, खुबानी और गुड़ और फाब	सारणी 4
40	*सेज़*	चावल	सारणी 4
41	*सुजेन*	चावल और *मोद पिठा* अथवा *पेरोक कुशी*	सारणी 4
42	*सुरा*	रागी	सारणी 4
43	*सिमल तारुल को जानर*	कसावा कंद और *मार्चा*	सारणी 4
44	*सिरा-ओआ*	चावल-फिलेट मिश्रण, पा	सारणी 4
45	*थेमसिंग*	रागी/जौ	सारणी 4
46	*तिम्पुई*	चावल, *खाई*	सारणी 4
47	*वाइयु*	चावल, भूसी, खाई	सारणी 4
48	*यू अंगौबा*	अंकुरित चावल	सारणी 4
49	*ज़ौंगाओ*	अंकुरित चावल	सारणी 4
50	*ज़ुथो/ज़ुचु*	चावल, *खेखरी*	सारणी 4
51	*ज़ुफांग*	चिपचिपा चावल और दावदिम	सारणी 4

टिप्पण: उपाबंध की सारणी I, II और III में निर्दिष्ट उत्पाद, जो किसी अन्य अधिनियम और विनियमों द्वारा शासित किए जाते हैं, उन्हें इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्राप्त है।".

जी. कमलावर्धन, राव मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./186/2025-26]

टिप्पण: - मूल विनियम भारत के राजपत्र,असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा. सं. 2/एसए-24/2009(1)/एफएसएसएआई, तारीख 19 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या फा. सं. एसटीडी/एसपी-21/टी(अल्कोहल-4) तारीख 21 अगस्त, 2023 द्वारा अंतिम संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2025

F. No. STD/SP-21/T(Alcohol-6).- Whereas the draft Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Amendment Regulations, 2023 were published as required by sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number, F. No. STD/SP-21/T(Alcohol-6), dated the 11th May, 2023, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 19th May, 2023;

And whereas, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (2) of section 92 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018, namely: -

1. These regulations may be called the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) first Amendment Regulations, 2025.
2. They shall come into force on 01st January, 2026.
3. In the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018, –

(1) in PART-1,

(a) in regulation 1.2 relating to 'Definitions', after sub-regulation 1.2.4, the following shall be inserted, namely: -

'1.2.4a. "alcoholic ready-to–drink beverages" means, flavored beverages having more than 0.5 and up to 15.0% of alcohol by volume, made from spirit or the mixture of spirit or any alcoholic beverage as base by adding natural or nature identical or artificial flavors and food additives permitted under the Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011, or a combination thereof, and fruit or vegetable juice or herbs or spices, or a combination thereof, with or without added sugar or caloric sweeteners or salt and with or without carbonation. In case of carbonated alcoholic ready-to-drink beverages, they shall be carbonated with carbon dioxide, which shall have a minimum of one volume of carbon dioxide and shall conform to the requirements of TABLE-4.]'.

(b) in regulation 1.3, in sub-regulation 1.3.9, after the proviso, for the words beginning with "Alcoholic beverage containing" and ending with "the requirements of TABLE-4", the following shall be substituted, namely: -

"Alcoholic beverage containing more than 0.5 per cent abv and up to 15.0 per cent abv shall be called as Alcoholic ready-to–drink beverage and it shall conform to the definition provided under regulation 1.2 and the requirements of TABLE-4,";

(2) in PART 2, for regulation 2.2, the following regulation shall be substituted, namely: -

"2.2 Country liquors or Indian Liquors: Country liquors or Indian Liquors or spirits are alcoholic beverages obtained from distillation of fermentable carbohydrates of agricultural origin. Country liquors or Indian made Liquors may also be of the following types, namely: -

2.2.1 Plain country liquor or Plain Indian liquor: Plain country liquor or Plain Indian liquor shall be made from alcoholic distillate obtained from fermented molasses, jaggery (Gur), mash of cereals, potato, cassava, fruits, juice or sap of coconut and palm trees, mahua flowers or any other carbohydrates of agricultural origin.

2.2.2 Blended country liquor or Blended Indian liquor: Blended country liquor or Blended Indian liquor is a blend of an alcoholic distillate, rectified spirit or neutral spirit.

Note: Country liquor or Indian liquor shall also conform to the general requirement specified in PART 1 and requirements specified in TABLE – 1. Product name and ingredients or raw materials for such products are specified in Annexure-1 of these regulations and the same are not exhaustive.".

(3) in PART-3, in regulation 3.1, -

(a) in sub-regulation 3.1.4, -

(i) for the heading "Wine from fruits other than grapes", the following heading shall be substituted, namely: -

"Fruit Wine (other than grape wine) along with Honey wine";

(ii) after clause 3.1.4.3, the following clause shall be inserted, namely: -

"3.1.4.4 Honey wine or Mead: Honey wine or Mead is a wine produced from the fermentation of an aqueous solution of honey by yeasts without addition of any other carbohydrate source. It may contain herbs, spices or natural flavourings and shall conform to the requirements provided under Table-2 except ethyl alcohol content which may vary between 4% to 15.5%.";

(b) in sub-regulation 3.1.5, after the words "juice or sap", the words "or whole grains" shall be inserted;

(c) in sub-regulation 3.1.6, after the words "or any other approved substance", the words "Wine Based Beverages may or may not be carbonated." shall be inserted,

(4) in PART 4, in regulation 4.2, after sub-regulation 4.2 (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

"4.2 (1) (i) Nitro Craft Beer- Nitro Craft Beer is the craft beer having the mixture of CO2 and N2 gas."

(5) in TABLE-1, -

(a) for the heading in column 5, the following heading shall be substituted, namely: -

"Country Liquor, Indian Liquor, Plain Country Liquor or Plain Indian Liquor";

(b) for the heading in column 6, the following heading shall be substituted, namely: -

"Blended Country Liquors or Blended Indian Liquors";

(c) in the footnote, for the words "low alcoholic beverages", the words "Ready to Drink Alcoholic Beverage" shall be substituted;

(6) in TABLE-2, -

(a) in column 7, in the heading, after the words "Fruit Wine (other than grape wine)", the words "along with Honey wine" shall be inserted;

(b) in the foot note, for the words "in accordance with their", the words "except the characteristic", shall be substituted.

(7) in TABLE-3, -

(a) in Column 2,

(i) against serial number 3, for the words "Carbon dioxide, v/v, Min", the words "CO2 or Mixture of CO2 and N2 gas, v/v, Min***" shall be substituted;

(ii) against serial number 10, for the words "Total plate count, cfu per ml", the words, "Total plate count, cfu per ml **** " shall be substituted.

(b) after column (7), the following column shall be inserted, namely: -

Craft Beer
Strong
(8)
More than 5.0 up to 8.0
3.3-4.8

1.8-3.6
50.0
2.0
5.0
0.2
0.25
0.1
<100
Absent
Absent
*

(c) after the existing footnotes, the following footnotes shall be inserted, namely: -

“ *** Mixture of CO_2 and N_2 gas is applicable for craft beer.

**** Does not include Brewer’s yeast.”.

(8) in TABLE 4, -

(a) for the existing heading, the heading “Requirements for Alcoholic Ready-to–drink beverages” shall be substituted;

(b) against serial number 1, in column (3), for the entry ‘>0.5 to 8.0’, the entry ‘>0.5 to <15.0’, shall be substituted.

(9) after TABLE 4, the following Annexure shall be inserted, namely: -

“Annexure-1

Table I: List of Indian Liquors (Distilled Liquor)

S. No.	Alcoholic products	Raw materials and Starter	Product category tocomply
1	*Acham*	Rice, *chamri*	Table 1 (5)
2	*Ark* or *ara*	Barley, apple, wild apricot	Table 1 (5)
3	*Arak* or *Hor-Alank*	Rice, *Thap*	Table 1 (5)
4	*Aara*	Cereals, paa, pee	Table 1 (5)

5	*Basi*	Rice	Table 1 (5)
6	*Batta Sarai*	*Clear distilled liquor; alcoholic drink*	Table 1(5)
7	*Daru*	Cereal	Table 1 (5)
8	*Handia*	Rice, ranu	Table 1 (5)
9	*Haria*	Rice and bhakar or dabai or mod pitha	Table 1 (5)
10	*Juharo*	Rice, humao	Table 1 (5)
11	*Kiad*	Rice, *thiat*	Table 1 (5)
12	*Madda feni*	Cashew fruit	Table 1 (5)
13	*Madhu*	Rice, khekhrii	Table 1 (5)
14	*Madua Apong*	Finger millet, phab	Table 1 (5)
15	*Mahua*	Dried corollas of Madhucalongifolia and ranu	Table 1 (5)
16	*Nava Sagara/kandasarai*	Jaggery, Molasses	Table 1(5)
17	*Nchiangne*	Red rice	Table 1 (5)
18	*Raksi*	Cereals and marcha	Table 1 (5)
19	*Rakzu*	Rice and *dawdim*	Table 1 (5)
20	*Ruhi*	Rice	Table 1 (5)
21	*Soor*	Fruits and *keem*	Table 1 (5)
22	*Tin-zu*	Rice and dawdim	Table 1 (5)
23	*Toddy liquor*	Made from distilled palm sap	Table 1(5)
24	*Xaj pani/koloh pani*	Rice, *xaj pittha*	Table 1 (5)
25	Yu	Rice, *hamei*	Table 1 (5)
26	*Zu*	Rice	Table 1 (5)
27	*Zupui*	Rice and dawdim	Table 1 (5)

Table II: List of Indian Liquor (Undistilled Liquor)

S. No.	Alcoholic products	Raw materials and Starter	Product category to comply
1	*Angoori* or *kinnauri*	Grapes	Table 2 [White Wine (3) and RedWine (4)]
2	*Chulli*	Apricot	Table 2 (7)
3	*Ghanti*	Apple and apricot	Table 2 (7)

Table III: List of Indian Liquor (Ready to Drink Alcoholic Beverage)

S. No.	Alcoholic products	Raw materials and Starter	Product category to comply
1	*Apong* or *ennog*	Rice, *Apop pitha*	Table 4
2	*Atingba*	Rice, *hamei*	Table 4
3	*Ahom*	Rice and *vekur pitha*	Table 4
4	Bhaati jaanr	Rice, marcha	Table 4
5	*Bhang-chyang*	Maizerice/ barley and pham	Table 4
6	*Buza*	Barley	Table 4
7	*Chhang/Chyang/Chee/ Kodo ko jaanr*	Finger millet/barley and *phab*	Table 4
8	*Chhind*	Extracted sap of chhind (*Phoenix sylvestris*)	Table 4
9	*Chakti*	Jaggery	Table 4

10	*Dekuijao*	Rice	Table 4
11	*Duizou*	Red rice, khekhrii	Table 4
12	*Ennog*	Black rice, phut	Table 4
13	*Faapar ko jaanr*	Buck wheat, marcha	Table 4
14	*Gahoon ko jaanr*	Wheat, marcha	Table 4
15	*Jann or jaan*	Rice, wheat and other cerealsand balam	Table 4
16	*Jao ko jaanr*	Barley, marcha	Table 4
17	*Jhara*	Rice, dabai ranu	Table 4
18	*Jou*	*Rice, khekhrii*	Table 4
19	Jou Bishi	Rice, angkur	Table 4
20	*Judima*	Rice, *humao*	Table 4
21	*Juhning*	Rice	Table 4
22	*Kodo ko jaanr*	Finger millet and *marcha*	Table 4
23	*Khor*	Germinated rice	Table 4
24	*Kanji*	Beet carrot root and torami	Table 4
25	*Langi*	Rice, chowan	Table 4

26	*Laopani*	Rice, *pitha*	Table 4
27	*Lugri*	Barley	Table 4
28	*Mingari/Lohpani*	Maize, rice or barley and pham	Table 4
29	*Makai ko jaanr*	Maize, *marcha*	Table 4
30	*Nduijao*	Rice	Table 4
31	*Nyongin*	Rice, *opop*	Table 4
32	*Oa*	Rice-fillet mixture, *paa*	Table 4
33	*Opo*	Rice-millet	Table 4
34	*Pachwai*	Rice, *bhakar*	Table 4
35	*Patso*	Rice, *chamri*	Table 4
36	*Pendum*	Rice, herbs, ranu or bhakar	Table 4
37	*Pheijou*	Rice, husk, *khai*	Table 4
38	*Pona/Pone*	Rice	Table 4
39	*Rak*	Apple, wild almond, apricot and jiggery and phab	Table 4
40	*Sez*	Rice	Table 4
41	*Sujen*	Rice and *mod pitha or perok kushi*	Table 4

42	*Sura*	Finger millet	Table 4
43	*Simal tarul ko jaanr*	Cassava tuber and *marcha*	Table 4
44	*Sira-Oa*	Rice-fillet mixture, paa	Table 4
45	*Themsing*	Finger millet/barley	Table 4
46	*Timpui*	Rice, *khai*	Table 4
47	*Waiyu*	Rice, husk, khai	Table 4
48	*Yu angouba*	Germinated rice	Table 4
49	*Zoungao*	Germinated rice	Table 4
50	*Zutho/Zhuchu*	Rice, *khekhrii*	Table 4
51	*Zufang*	Sticky rice and dawdim	Table 4

Note: The products specified in Table I, II and III of the Annexure, which are governed by any other Act and Regulations are exempted from the provisions of these Regulations.".

G. KAMALA VARDHANA RAO, Chief Executive Officer
[ADVT.-III/4/Exty./186/2025-26]

Note. - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number F. No. 2/SA-24/2009(1)/FSSAI, dated 19th March, 2018 and last amended vide notification no. F. No. STD/SP-21/T(Alcohol-4) dated 21st August, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.06.24 15:03:24 +05'30'